

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)


क्रमांक 5367/2024/114

दिनांक: 09-12-2024

// रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश //

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझे उमेश वीर आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: स्था0/2024/112 दिनांक 07.12.2024 में आंशिक सशोधन करते हुए श्रीमती रोमा भाटिया अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला दौसा की दिनांक 01 जनवरी, 2025 की रिमाण्ड बाबत ड्यूटी निरस्त करते हुए इनके स्थान पर श्रीमती सीमा करोल अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 2, दौसा जिला दौसा को दिनांक 01 जनवरी, 2025 की रिमाण्ड ड्यूटी के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट:- शेष पूर्व आदेश यथावत रहेगा।

  
(उमेश वीर)


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:- 5367

दिनांक:- 09-12-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केंद्र
- 04- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
- 05- सन्बन्धित अधिकारी सर्व श्री .....
- 06- प्रोटोकाल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 07- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 08- अध्यक्ष/सचिव वार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
- 09- उप-निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 10- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 11- जिला जारगुड दौसा
- 12- सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की वेबसाइट पर इस आदेश का अपलोड करें।
- 13- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

  
(उमेश वीर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
दौसा, जिला-दौसा (राज.)